संख्याः– /XXIV(7)/2013–45(4)11

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. कुलपति
उच्च शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक
उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 21 मई 2013

विषय :– कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम 2010 के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के आधार पर मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या–1–32/2006–U II/U I (1) दिनांक 31 दिसम्बर 2008 के कम में प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिये स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान शासनादेश संख्या 138/xxiv(6)/ 2009 दिनांक 11.11.2009 के द्वारा लागू किये जा चुके हैं। इसी कम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विनियम संख्या एफ 3–1/2009 दिनाक 30 जून 2010 द्वारा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिये कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये हैं। तद्नुसार, सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में तात्कालिक प्रभाव से संलग्न व्यवस्थानुसार कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम 2010 लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के पदों का सृजन नही किया जायेगा। वर्तमान में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सृजित प्रवक्ता पदों जिनका पदनाम शासनादेश संख्या 138/xxiv(6)/2009 दिनांक 11 नवम्बर 2009 द्वारा असिसटेंन्ट प्रोफेसर कर दिया गया है, को इस शासनादेश मे प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अर्हताऐं पूर्ण करने पर वैयक्तिक प्रोन्नति के अर्न्तगत एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर पदनाम दिया जायेगा। एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर पदनाम प्राप्त करने पर प्राध्यापकों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

2– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2010 में महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर के कुल पदों की संख्या के 10% को प्रोफेसर पदनाम प्रदान करने की व्यवस्था के साथ–साथ स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रोफेसर के 25% पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 75% पद कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2010 के अन्तर्गत नियुक्त करने का प्राविधान किया गया है। चूँकि प्रदेश के राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद सृजित नहीं हैं, अतः कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2010 के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के समस्त पदों में से प्रत्येक विभाग में एक एसोसिएट प्रोफेसर को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रोफेसर पदनाम प्रदान करने के लिए वांछित पदों की संख्या का वर्गीकरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा जिसके लिए अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं किया जायेगा।

3– सम्प्रति, प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रशासनिक कार्यो के सम्पादन के लिए पृथक से संवर्ग का गठन नही किया गया है। इस हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय एवं शिविर कार्यालय में प्रवक्ता पदों से ही संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक पदों पर प्राध्यापकों की नियुक्तियॉ की जाती हैं। प्रशासनिक पदों पर नियुक्त प्राध्यापकों से यह अपेक्षा नही की जा सकती है कि वह शिक्षण, शोध व शिक्षणेत्तर गतिविधियों में सहभागिता कर यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित अकादमिक निष्पादन संकेतांक (Academic Performance Indicators) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त कर सकें। अतः प्रशासनिक पदों पर नियुक्त प्राध्यापकों को वैयक्तिक प्रोन्नति के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर पदनाम एवं वांछित ग्रेड पे स्वीकृत करने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक पदों पर की गई सेवा की आलोच्य अवधि में यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अकादमिक निष्पादन संकेतांक के अन्तर्गत न्यूनतम प्राप्तांक, परिकल्पित रुप से प्रदान करने हेतु मूल्यांकन की शर्त से छूट दी जायेगी।

4– उक्त प्रस्तावित छूट केवल एक बार के लिए इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि इससे यू0जी0सी0 के दिशा निर्देश किसी प्रकार प्रभावित न हो।

5– उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों द्वारा इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित व्यवस्था को सम्बन्धित विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर समावेषित/प्रतिस्थापित करने के लिये वांछित कार्यवाही की जाय तथा निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा शासन के उक्त निर्णय एवं आदेश से सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों को अवगत कराया जाय।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 355 दिनांक 16 मई, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

पष्ठांकन संख्या : 1479 (1)/XXIV(7)/2013–45(4)11/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तराखण्ड ।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
(3) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(4) उप निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शिविर कार्यालय देहरादून।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र शर्मा)
अपर सचिव।